छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   द्वितीय सत्र   अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024
(माघ 17, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री शिव नेताम, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्यमंत्री के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, आशाराम नेताम, किरण देव, नीलकंठ टेकाम एवं श्रीमती अनिला भेंडिया ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.11 बजे स्थगित की जाकर 11.20 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 35 तारांकित एवं 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

तारांकित प्रश्न संख्या- 01 में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकों की कमेटी से जांच कराये जाने की शासन की ओर से सहमति दी ।

3. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा धान खरीदी एवं भुगतान में व्यापक अव्यवस्था संबंधी विषय पर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

इस संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने भी विचार व्यक्त किया ।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर मुझे डॉ. चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने माननीय सदस्यों की बात भी सुनी। स्थगन प्रस्ताव के विषय पर संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना मुझे पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। चूंकि ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हो चुकी है और उस ध्यानाकर्षण को ग्राह्य कर लिया गया है। विषय महत्वपूर्ण है, किसानों से जुड़ा हुआ है। मैं ध्यानाकर्षण की सूचना के समय सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दूंगा। मैं स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.23 बजे स्थगित की जाकर 12.41 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

6. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने पुन: किसानों के विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

7. बहिष्कार

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य किये जाने के विरोध में सदन की पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया ।

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुवदेव साय, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य् विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023,

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07-37/2022/32, दिनांक 6 सितम्बर, 2023,

पटल पर रखे ।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

1. वित्तीय कार्य :-

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी, 2024 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक का उपस्थापन शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मध्याह्न 12.30 बजे किया जायेगा । आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 एवं मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 को होगी।

(3) बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तत्पश्चात् विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समिति द्वारा समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1)	श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री	- 3 घंटे
(2)	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	- 3 घंटे
(3)	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	- 2 घंटे
(4)	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री,	- 3 घंटे
(5)	श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री	- 2 घंटे
(6)	श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	- 2 घंटे
(7)	श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	- 2 घंटे
(8)	श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	- 1 घंटा
(9)	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-2 घंटा	
(10)	श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री	- 2 घंटा
(11)	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री	- 1 घंटा
(12)	श्री टंकराम राम वर्मा, राजस्व मंत्री	- 2 घंटा

2. विधि विषयक कार्य :-

(1) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2024 -30 मिनट

(2) छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 -30 मिनट

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 -30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 2024 तक भोजन अवकाश नहीं होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर तथा षष्ठम् विधान सभा के दिसम्बर, 2023 सत्र में पारित 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

11.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया-:

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नहीं।)

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

14. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान मांग संख्या - 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 50, 55, 56, 64, 67, 69, 71, 79, 80, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार चार सौ सतासी करोड़, चार लाख, इक्यानवे हजार, दो सौ सात रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री गजेन्द्र यादव,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती भावना बोहरा, गुरु खुशवंत साहेब, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, रिकेश सेन,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक- 8 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 1.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024 (माघ 18, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा